केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 5, अंक 03, अक्तूबर- 2022

डॉ. आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी) अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (आईसीआईडी) के तहत भारत की प्रतिनिधि राष्ट्रीय समिति है जो आईसीआईडी के साथ घनिष्ठ और सक्रिय बातचीत के माध्यम से सिंचाई और जल निकास में सुधार के लिए भारत की जरूरतों को पूरा करती है। उपरोक्त विकास और आईएनसीआईडी की 73 वर्षों की शानदार विरासत को ध्यान में रखते हुए, आईएनसीआईडी सचिवालय ने आईएनसीआईडी वेबसाइट (www.incid.cwc.gov.in) को नया रूप दिया। 26.09.2022 को के.ज.आ.-मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में सदस्य (डब्ल्यू पी एंड पी), सदस्य (आरएम) और सदस्य (डी'&आर) की उपस्थिति में आईएनसीआईडी वेबसाइट, आईएनसीआईडी लोगो, आईएनसीआईडी पत्रिका, आईएनसीआईडी पुस्तिका और 25वीं आईसीआईडी कांग्रेस का उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया।

"एमओडब्ल्यूआर अनुसंधान अध्यक्ष-जल संघर्ष और शासन" की स्थापना के लिए 31.08.2018 को जल शक्ति मंत्रालय और नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर) के बीच सीपीआर, नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुसंधान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डिलिवरेबल्स में से एक है "अंतर-राज्य जल विवादों और उनके निहितार्थ नीति निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर एक मोनोग्राफ" (बार और बाइंडिंग का मोनोग्राफ) तदनुसार, 'बार एंड बाइंडिंग के मोनोग्राफ' को अंतिम रूप देने के लिए 09.09.2022 को डॉ. श्रीनिवास चोकाकुला, जल शक्ति मंत्रालय अनुसंधान अध्यक्ष और श्री खुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, 'बार एंड बाइंडिंग मोनोग्राफ' पर विस्तार से चर्चा की गई और विचार-विमर्श के बाद, जल शक्ति मंत्रालय, अनुसंधान अध्यक्ष ने बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार के लिए जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 150वीं बैठक सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 19.09.2022 को आयोजित की गई। बैठक में सलाहकार समिति द्वारा कुल 13(तेरह) परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृत किया गया।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की तीसरी बैठक 12.09.2022 को सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान मणिपुर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की 3 परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत शामिल करने पर चर्चा की गई।

सरकारी विभागों में राजभाषा में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हर साल की तरह इस साल भी के.ज.आ. के मुख्यालय समेत क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत निबंध लेखन, कविता पाठ जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये।

विषयसूची

- फरक्का प्रभाव अध्ययन पर समिति की 7वीं बैठक
- पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
- दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय बैठक-सह-कार्यशाला
- जल अध्ययन, जल विज्ञान और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, थरमणी, चेन्नई में 34वां डॉ. एम. विश्वेश्वरैया मेमोरियल एंडोमेंट व्याख्यान।
- ऊपरी इंद्रावती पंपित संचायक परियोजना - अंतर्राज्यीय निकासी के संबंध में माननीय राज्य मंत्री (जेएस एंड टीए) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक।
- सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 150वीं बैठक आयोजित की गई।
- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ प्रस्तावित अंतर-राज्य समझौते और किशाऊ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के संबंध में माननीय मंत्री (जेएस) की अध्यक्षता में बैठक हुई ।
- भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति की संशोधित वेबसाइट का उद्घाटन
- पोलावरम सिंचाई परियोजना - मौजूदा और प्रस्तावित परियोजनाओं के आंशिक लाभ और संभावित प्रभाव को अंतिम रूप देने की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक
- उझ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर बैठक
- डॉ. श्रीनिवास चोकाकुला, जल शक्ति मंत्रालय रिसर्च चेयर/सीई (आईएमओ) - बार और बाइंडिंग के संबंध में चर्चा
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक
- राज्यों के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीके) लिंक और ईआरसीपी के प्रस्तावित एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक
- तकनीकी सलाहकार-सह-कार्यकारी समिति (दक्षिण) क्षेत्र की पहली बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति-सितंबर 2022
- 30.09.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- के.ज.आ. की अन्य गतिविधियां
- जलाशय निगरानी
- सितंबर-2022 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि
- डेटा कॉर्नर- गोदावरी बेसिन की मुख्य विशेषताएं
- जल क्षेत्र-समाचार
- गैलरी
- इतिहास- थन्निरमुक्कम बैराज

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कन्ध के तहत गतिविधियाँ

फरक्का प्रभाव अध्ययन पर समिति की 7वीं बैठक

एचएसओ ने परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 26 सितंबर 2022 को अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और सिल्टेशन के मुद्दे पर अध्ययन" के लिए समिति की 7वीं बैठक बुलाई है। बैठक में, श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डीएंडआर), ने के.ज.आ. अधिकारियों, जीएफसीसी अधिकारियों, बिहार सरकार और एनआईएच पटना के अधिकारियों के साथ भाग लिया। परियोजना की मसौदा अंतिम रिपोर्ट और सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मसौदा अंतिम रिपोर्ट पर टिप्पणियों के अनुपालन पर चर्चा की गई और अनुमोदित किया गया।

पोलावरम सिंचाई परियोजना से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6 सितंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर विचार करने के लिए 29 सितंबर, 2022 को समिति कक्ष, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने की। इसमें श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) के साथ-साथ के.ज.आ. के अधिकारियों और ओएस नंबर 4/2007 में पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दों और इसके साथ टैग किए गए अन्य समान मामले से जुड़े प्रमुख राज्यों, यानी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्रीय बैठक-सह-कार्यशाला

श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की अध्यक्षता में क्रमशः 3 सितंबर 2022 को कोयंबटूर में और 10 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) द्वारा एक क्षेत्रीय बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की गई थी। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत राज्य/केंद्र शासित सरकारों/बांध मालिकों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांधों की सुरक्षा के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण

विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और दक्षिणी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/बांध मालिकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

साइटों/परियोजनाओं का दौरा

डीआरआईपी II और III के तहत दिम्बे बांध, महाराष्ट्र में के.ज.आ के विशेषज्ञों का दौरा

मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), निदेशक (डीएसएम), निदेशक, सीएमडीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) और उप निदेशक, सीएमडीडी (ई एंड एनई), के.ज.आ के विशेषज्ञों की टीम ने 23 सितंबर 2022 को बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) II और III के तहत बांध की सुरक्षा/रिसाव के मुद्दों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के दिम्बे बांध का दौरा किया। टीम ने 30.09.2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें दिम्बे बांध के पुनर्वास के लिए किए जाने वाले जांच/तकनीकी अध्ययन और उपचारात्मक उपाय के सुझाव दिए गए हैं।

मेबो सिंचाई परियोजना, पासीघाट, अरुणाचल का दौरा

बीसीडी (ई एंड एनई) निदेशालय, जल विज्ञान (एनई) निदेशालय और सीएमडीडी (ई एंड एनई) के.ज.आ, नई दिल्ली और जीएसआई शिलांग के साथ बीबीओ, के.ज.आ, गुवाहाटी और जल संसाधन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों का संयुक्त दौरा मेबो सिंचाई परियोजना, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश के परियोजना स्थल पर 17.09.2022 और 20.09.2022 से आयोजित किया गया था। संयुक्त दौरे का उद्देश्य क्षेत्र की स्थितियों का आकलन करना था

ताकि विभिन्न डिजाइन पहलुओं पर संभावित और उपयुक्त बांध/

बैराज एक्सिस को अंतिम रूप दिया जा सके।

मेबो सिंचाई परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में मेबो सिविल उपमंडल के अंतर्गत स्थित एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। पर हिमालय श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इस परियोजना में

बुरोई सिंचाई परियोजना, असम का दौरा

बुरोई सिंचाई परियोजना, असम का संयुक्त क्षेत्र दौरा बीसीडी (ई एंड एनई) निदेशालय, के.ज.आ; जल विज्ञान (एनई) निदेशालय, के.ज.आ; बीबीओ, के.ज.आ, गुवाहाटी; जीएसआई,शिलांग और सिंचाई विभाग, असम सरकार के अधिकारियों द्वारा 10 सितंबर 2022 से 13 सितंबर 2022 के दौरान किया गया था ।

ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन (बीबीओ), के.ज.आ, गुवाहाटी को बुरोई सिंचाई परियोजना, असम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम सौंपा गया है। इस परियोजना में असम के बिश्वनाथ चरियाली जिले के गोहपुर ब्लॉक में बुरोई नदी पर एक बैराज के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिससे लगभग 8830 हेक्टेयर प्रस्तावित कमान क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा के लिए सिकु नदी पर एक अपवर्तन संरचना के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना का सकल कमान क्षेत्र 10,182 हेक्टेयर और कृषि योग्य कमान क्षेत्र 8500 हेक्टेयर है।

के कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) की सिंचाई की जा सकेगी। सिंचाई के अलावा, परियोजना लगभग 74970 घरों की पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता को भी पूरा करेगी।

पुनत्संग्चु-II एच.ई.परियोजना

पुनत्संग्चु-II जलविद्युत परियोजना 1020 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 86 मीटर ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध भूटान में वांगड्यू ब्रिज से 29 किमी नीचे की ओर स्थित है। बांध की लंबाई 213.00 मी. है। के.ज.आ वर्तमान में परियोजना के लिए परामर्श प्रदान कर रहा है। के.ज.आ के अधिकारियों की एक टीम ने 21.09.2022 से 25.09.2022 तक बांध प्राधिकरण और ठेकेदारों के साथ प्रगति का आकलन करने और कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए परियोजना का दौरा किया। परियोजना पूरा होने वाली है।

जल अध्ययन, जल विज्ञान और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, थरमणी, चेन्नई में 34वां डॉ. एम. विश्वेश्वरैया मेमोरियल एंडोमेंट व्याख्यान

श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य, डीएंडआर ने 5 सितंबर 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर वाटर स्टडीज कैंपस, थरमानी, चेन्नई में 34वां डॉ.एम.विश्वेश्वरैया स्मारक बंदोबस्ती व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत में बांध सुरक्षा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की और बांध सुरक्षा प्रबंधन में के.ज.आ की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

साप्ताहिक रिपोर्ट

बांध की घटनाओं की साप्ताहिक रिपोर्ट माननीय जलशक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही है

बांधों पर साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट संकलित की जा रही है और माननीय जलशक्ति मंत्रालय के कार्यालय में साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। सितंबर के महीने में, के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित बांध घटनाओं की सूचना दी गई थी।

I. कावेरी और दक्षिणी नदी संगठन (सीएसआरओ), कोयंबटूर ने बताया कि 1 सितंबर, 2022 को पंबर बांध (जिला कृष्णागिरी, तमिलनाडु) का चौथा कपाट के संचालन के दौरान बिजली की खराबी के कारण टूट गया। कृष्णा गोदावरी बेसिन संगठन (केजीबीओ), हैदराबाद ने बताया कि नागार्जुन सागर बाईं तटबंध नहर (जिला नालगोंडा, तेलंगाना) में 7 सितंबर 2022 को शाम 06:30 बजे सीसी अस्तरण के हिस्से को नुकसान और नहर के तल पर एक छेद होने के कारण हुआ।

II.12 सितंबर, 2022 को भारी वर्षा और जलाशय के जल निकासी में रुकावट के कारण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अबाना नदी पर अर्दला बांध से 3 से 4 स्थानों पर पानी के

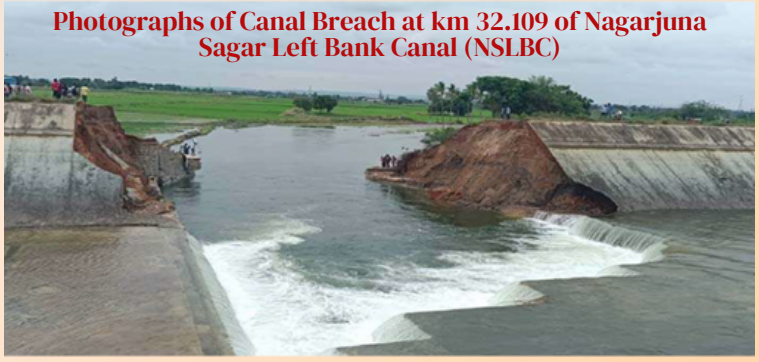

अतिप्रवाह/रिसाव की सूचना मिली थी। एनडीएसए के अध्यक्ष, श्री जे.चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, एनडीएसए के निर्देशों के अनुसार तुरंत एनडीएसए के अधिकारियों को परियोजना स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया और अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय प्रदान किए गए/सुझाए गए। कावेरी और दक्षिणी नदी संगठन (सीएसआरओ), कोयंबटूर ने बताया कि 21 सितंबर, 2022 को

परम्बिकुलम बांध (जिला पलक्कड़, केरल) के तीन में से एक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। एनडीएसए में घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीएसए के अध्यक्ष, श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, एनडीएसए केनिर्देशानुसार तत्काल एनडीएसए के अधिकारियों को परियोजना स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया और अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय प्रदान किए गए/सुझाए गए।

राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन पर बांधों और स्थिति के निरीक्षण पर साप्ताहिक रिपोर्ट

राज्यवार किए गए बांध निरीक्षणों पर साप्ताहिक रिपोर्ट और राज्य बांध सुरक्षा समिति (एससीडीएस) व राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) के गठन/स्थापना रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से पीएमओ को प्रस्तुत की जा रही है। राज्यों द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2022 में 11.11.2022 तक 5334 बड़े बांधों में से 3907 बांधों का निरीक्षण किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम (डीएसए), 2021 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य बांध सुरक्षा समिति (एससीडीएस)और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन करना है। 11.11.2022 तक, 30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने एससीडीएस का गठन किया है और 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने एसडीएसओ की स्थापना की है।

के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली में 30.09.2022 को आयोजित "सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के अनुमान के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" कार्य के लिए टीएआरसी की 13वीं बैठक

श्री मनोज तिवारी, मुख्य अभियंता, एचएसओ, के.ज.आ की अध्यक्षता में 30.09.2022 को के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली में "सात (7) नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के अनुमान के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग की परामर्श सेवाएं" के लिए टीएआरसी की 13वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में के.ज.आ अधिकारियों के साथ मैसर्स हास्कोनिंग डीएचवी इंडिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के सलाहकार ने भाग लिया। सलाहकार ने समिति के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।

निर्माणाधीन धरोई बांध, गुजरात की कुछ ऐतिहासिक झलकियां

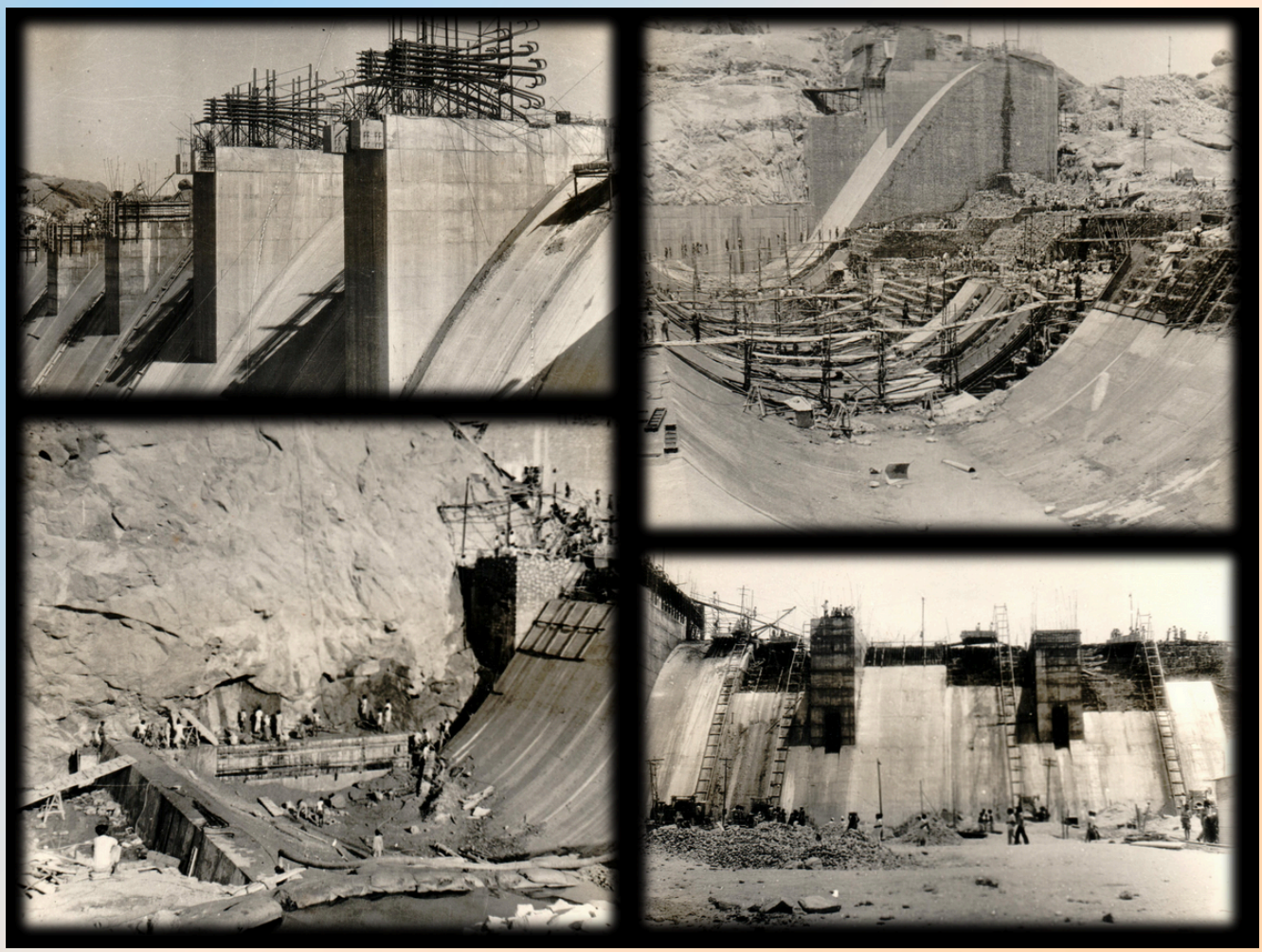

जल आयोजना एवं परियोजना स्कन्ध के तहत गतिविधियां

ऊपरी इंद्रावती पंपित संचायक परियोजना - अंतर्राज्यीय निकासी के संबंध में माननीय राज्य मंत्री (जेएस एंड टीए) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना योजना में 600 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले बिजली घर और पानी को संग्रहित करने के लिए एक छोटे जलाशय के साथ एक नई पंप भंडारण योजना स्थापित करके (मौजूदा) ऊपरी इंद्रावती जलाशय के पानी का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, निचले जलाशय (4एमसीएम क्षमता के लिए प्रस्तावित) में संग्रहित पानी मंदप्रवाह अवधि के दौरान मुख्य ऊपरी इंद्रावती जलाशय में वापस पंप (पुनर्नवीनीकरण) किया जाएगा।

ओडिशा की ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना में शामिल अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने से पहले श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव द्वारा 07-09-2022 को एक बैठक की गई थी। बैठक में जल संसाधन विभाग (ओडिशा सरकार), ओडिशा जल विद्युत निगम लिमिटेड (ओएचपीसी), वैपकोस और के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया। विस्तृत चर्चा के बाद, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (ओडिशा सरकार) को जीडब्ल्यूडीटीए पुरस्कार के अनुसार आवंटित हिस्से के भीतर पानी का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

माननीय राज्य मंत्री, जलशक्ति और जनजातीय मामलों ने भी ओडिशा की ऊपरी इंद्रावती पंप भंडारण परियोजना में शामिल अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13.09.2022 को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ, जल संसाधन विभाग ओडिशा सरकार, ओडिशा जल विद्युत निगम लिमिटेड और वैपकोस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और मुख्य अभियंता (आईएमओ) ने भाग लिया। परियोजना में शामिल अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान संतोषजनक ढंग से किया गया।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ प्रस्तावित अंतर-राज्य समझौते और किशाऊ परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के संबंध में माननीय मंत्री (जलशक्ति) की अध्यक्षता में बैठक

किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) में उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1324 एमसीएम के सजीव भंडारण के साथ टोंस नदी पर 236 मीटर ऊंचे चिनाई बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है परिकल्पित लाभ हैं-0.5 एमएएफ तक पेयजल की आपूर्ति, 0.97 लाख हेक्टेयर का सिंचाई लाभ और 660 मेगावाट का बिजली लाभ। परियोजना को उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से निष्पादित किया जाना है।

प्रस्तावित अंतर-राज्य समझौते और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की 21.09.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ, यूवाईआरबी, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि राज्य 2.3 रुपये/यूनिट से अधिक बिजली टैरिफ के कारण परियोजना के बिजली घटक की लागत वहन करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश राज्य के इस कदम का समर्थन किया।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने उल्लेख किया कि चूंकि राज्यों में बेसिन का हिस्सा अपरिवर्तित रहता है अतः परियोजना के कार्यान्वयन से कम वर्षा के मौसम में अधिक पानी उपलब्ध होगा। उसने प्रस्ताव दिया। यदि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (जहां परियोजना स्थित है) के राज्य बिजली घटक के 2.3 रुपये/यूनिट से अधिक के बिजली शुल्क की अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए सहमत नहीं हैं, तो हरियाणा राज्य परियोजना के कार्यान्वयन पर 2.3 रुपये/यूनिट से अधिक की दर पर बिजली खरीदने के लिए तैयार है।

इसके अलावा, माननीय केंद्रीय जल मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों को बिजली घटक की लागत वहन करने के अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि परियोजना के समझौते में किसी भी तरह की देरी से परियोजना की कुल लागत बढ़ जाएगी। माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति ने आगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से इस मुद्दे पर राष्ट्रीय हित में संपर्क करने की अपील की ताकि परियोजना को तेजी से पूरा किया जा सके।

पोलावरम सिंचाई परियोजना - मौजूदा और प्रस्तावित परियोजनाओं के आंशिक लाभ और संभावित प्रभाव को अंतिम रूप देने की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर निष्पादित की जा रही है। इस बहुउद्देश्यीय वृहत परियोजना में एक मृदा सह शैल बांध (ईसीआरएफ) के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिस के साथ सैडल मृदाबांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंगें, नेविगेशन सुरंग व चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरें होंगी जिससे 4.36 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी। इस परियोजना में 960 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, 540 गांवों को पेयजल आपूर्ति और

84.7 टीएमसी पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में अपवर्तित करने की परिकल्पना भी की गई है।सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति द्वारा 11 अगस्त, 2022 को पोलावरम सिंचाई परियोजना(पीआईपी) की समीक्षा के दौरान उभरे कार्रवाई बिंदुओं के अनुसरण में श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव की अध्यक्षता में पीआईपी पर मौजूदा और प्रस्तावित परियोजनाओं के आंशिक लाभों और संभावित प्रभाव को अंतिम रूप देने की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 06.09.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के दौरान, पीआईपी पर गैर-अनुमोदित परियोजनाओं के प्रभाव पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह सूचित किया गया था कि सात गैर-अनुमोदित परियोजनाएं हैं पीआईपी के आसपास चिंतलपुडी एलआईएस, पुरुषोत्तमपट्टनम, वेंकटनगरम एलआईएस, उत्तरांद्रा सुजल्ला सरवंथी, कोव्वाडा कलवा जलाशय, पट्टीसीमा एलआईएस और पोलावरम एलआईएस, जिसका विवरण पीआईपी पर प्रभाव को समझने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) ने जल संसाधन विभाग (आंध्र प्रदेश), पीपीए और के.ज.आ के संबंधित अधिकारियों को अस्वीकृत परियोजनाओं के मुद्दों के शीघ्र समाधान और पीआईपी के आसपास की उक्त सात परियोजनाओं के प्रभावों पर विचार करने के बाद 41.15 मीटर पर पीआईपी लाभ के आकलन के लिए निर्देशित किया।

सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 150वीं बैठक आयोजित की गई।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 19.09.2022 को सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 150वीं बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में बिहार सरकार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा के.ज.आ, सीजीडब्ल्यूबी, जीएफसीसी, एमओईएफ और सीसी, सीईए, नीति आयोग, वैपकोस आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में, सलाहकार समिति द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुल 13(तेरह) परियोजनाओं/ योजनाओं को स्वीकार किया गया।

क्र.सं	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना का प्रकार	अनुमानित लागत (रु.)	अभीष्ट लाभ
1	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (आठवींआरसीई)	झारखंड और बिहार	वृहत सिंचाई	3199.85 करोड़ दिसंबर, 2021 के मूल्य स्तर पर	सीसीए-125500हेक्टेयर एआई-114021 हेक्टेयर बीसी अनुपात-1.146
2	आंध्र प्रदेश सिंचाई और आजीविका सुधार परियोजना के तहत स्वर्णमुखी एनीकट में सुधार, चरण- II (ए पी आईएलआईपी- II)	आंध्र प्रदेश	सिंचाई(मध्यम)	53.635 करोड़ 2020-21 के मूल्य स्तर पर	सीसीए-4127.80 हेक्टेयर बीसी अनुपात-1.671
3	रुकनी सिंचाई परियोजना	असम	सिंचाई (वृहत)	764.12 करोड़ 2020 के मूल्य स्तर पर	सीसीए -17566 हेक्टेयर बीसी अनुपात - 1.42
4	सोनाई सिंचाई परियोजना	असम	सिंचाई (वृहत)	740.93 करोड़ मार्च, 2020 के मूल्यस्तर पर	सीसीए -10850 हेक्टेयर बीसी अनुपात -1.04
5	फिना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना	हिमाचल प्रदेश	बहुउद्देशीय	643.68 करोड़ मार्च 2022 के मूल्य स्तर पर	सीसीए -4025 हेक्टेयर बिजली-1.88 मेगावाट बीसी अनुपात - 1.87
6	बुरिदेहिंग बेसिन का एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन	असम	बाढ़ नियंत्रण	733.0473 करोड़ 2021-2022 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वित जनसंख्या-6,00,000 लाभान्वित क्षेत्र -65,000 हेक्टेयर, बीसी अनुपात-1.74
7	असम के भीतर ब्रह्मपुत्र घाटी में बक्सा और बारपेटा जिले में मानस और बेकी नदी का एकीकृत बाढ़ और कटाव प्रबंधन (समीक्षा) "	असम	बाढ़ नियंत्रण	400.22 करोड़2021-2022 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वित जनसंख्या-3,00,000 लाभान्वित क्षेत्र-80,000 हेक्टेयर बीसी अनुपात -1.27
8	पक्के केसांग जिले के सेजोसा में डेकोरई सिंचाई परियोजना के प्रतिप्रवाह की ओर सामान्य जमीन के पास बाढ़ सुरक्षा कार्य	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	82.16 करोड़ जनवरी 2022 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वित जनसंख्या- 12474 लाभान्वित क्षेत्र-550 हेक्टेयर बीसी अनुपात -1.15
9	जिला मंडी में ब्यास जलग्रहण क्षेत्र के तहत अन्य सहायक नदियों के साथ-साथ सुकेती खड्ड के तटीकरण और बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रदान करने हेतु डीपीआर	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	485.23 करोड़ फरवरी, 2021 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वित जनसंख्या- 41493 लाभान्वित क्षेत्र-881 हेक्टेयर बीसीअनुपात - 1.13
10	तहसील अम्ब, जिला ऊना में ब्यास बेसिन में शामिल होने वाली स्वान नदी और इसकी सहायक नदियों के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय प्रदान करने पर डीपीआर	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	339.25 करोड़ अप्रैल, 2021 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वितजनसंख्या- 14744 लाभान्वित क्षेत्र- 510.18 हेक्टेयर बीसीअनुपात - 1.09
11	जसवां परागपुर निर्वाचन क्षेत्र, जिला कांगड़ा के अंतर्गत विभिन्न खड्डों के लिए बाढ़ सुरक्षा / कटाव रोधी उपाय प्रदान करने पर डीपीआर	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	504.07 करोड़ अप्रैल 2021 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वितजनसंख्या- 23715 लाभान्वित क्षेत्र- 811.03 हेक्टेयर बीसीअनुपात - 1.04
12	तहसील घुमारवीं/झंडूता, जिला बिलासपुर के गांव तलवारा से बालघाट तक सीरखड़ को बाढ़ सुरक्षा कार्य उपलब्ध कराना	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	195.49 करोड़ अप्रैल, 2021 के मूल्य स्तर पर	लाभान्वित जनसंख्या- 14647 लाभान्वित क्षेत्र- 179.35 हेक्टेयर बीसी अनुपात - 1.06
13	टिहरी गढ़वाल में आगलाद नदी से थाथ्यूर एवं भवन के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य के निर्माण हेतु परियोजना	उत्तराखंड	बाढ़ नियंत्रण	30.2189 करोड़	लाभान्वित जनसंख्या- 3750 लाभान्वित क्षेत्र- 29.70 हेक्टेयर बीसी अनुपात - 2.62

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति की संशोधित वेबसाइट का उद्घाटन

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईआईएनसीडी) अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग (अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग) के अंतर्गत भारत की प्रतिनिधि राष्ट्रीय समिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग के साथ घनिष्ठ और सक्रिय बातचीत के माध्यम से सिंचाई और जल निकासी में सुधार के लिए भारत की जरूरतों को पूरा करती है। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के प्राथमिक उद्देश्यों में कृषि जल प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के प्रयासों को एकीकृत करते हुए भारत में सिंचाई, जल निकासी, नदी प्रशिक्षण और बाढ़ नियंत्रण तकनीकों के विकास और अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ावा देना शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति का नेतृत्व अध्यक्ष, के.ज.आ और मुख्य अभियंता (पर्यावरण प्रबंधन संगठन) करते हैं, के.ज.आ रिमोट सेंसिंग निदेशालय, के.ज.आ में भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति सचिवालय के सदस्य सचिव हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग (अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग) के साथ 1950 में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति को हाल ही में वर्ष 2019 में पुनर्गठित किया गया था।भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग ने संयुक्त रूप से जून, 2022 में 73वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग के सहयोगात्मक प्रयास से नवंबर,2023 में विशाखापत्तनम, आंध्रप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग की 25वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेसकी मेजबानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग 6 दशकों के अंतराल के बाद भारत में आयोजित की जा रही है। विशाखापत्तनम में कांग्रेस और अन्य कार्यक्रमों में दुनिया भर से लगभग 1200+ प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।

उपरोक्त विकास और भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति की 73 वर्षों की शानदार विरासत को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति सचिवालय ने वेबसाइट (www.incid.cwc.gov.in) को नया रूप दिया। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति वेबसाइट, लोगो, पत्रिका, पैम्फलेट और 25वें अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकास आयोग कांग्रेस का उद्घाटन 26/09/2022 को के.ज.आ -मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में अध्यक्ष, के.ज.आ द्वारा सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सदस्य (आरएम) और सदस्य (डी एंड आर) की उपस्थिति में किया गया।

उझ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर बैठक

उझ बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) में जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी की सहायक नदी उझ नदी पर 110 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 89.5 मेगावाट का पनबिजली लाभ प्रदान करेगी, 91073 हेक्टेयर की सिंचाई करेगी और कठुआ जिले को पीने के पानी की आपूर्ति करेगी। परियोजना की कुल लागत 11907.77 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर-दिसंबर, 2019) होने का अनुमान है।

उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना से संबंधित मामलों की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव द्वारा 06 सितंबर, 2022 को बैठक की गई थी। बैठक में जम्मू-कश्मीर सरकार, के.वि.प्रा.और के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में, परियोजना की सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए

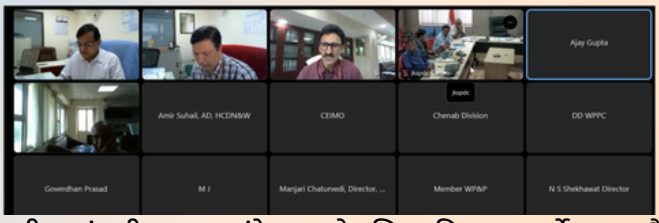

पर्यावरणीय मंजूरी, नहर संरेखण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अंतिम डीपीआर तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चाओं के बाद, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ ने जम्मू-कश्मीर सरकार को सीआईएफआरआई के साथ पर्यावरण मंजूरी के अनुमोदन के लिए शीघ्र आवेदन करने का निर्देश दिया। जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों को मुख्य अभियंता, आईबीओ, के.ज.आ, चंडीगढ़ के परामर्श से नहर संरेखण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने का भी निर्देश दिया गया था।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक 12 सितंबर, 2022 को सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में हुई थी।

बैठक के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत शामिल करने के लिए निम्नलिखित 3 परियोजनाओं पर चर्चा की गई:

लोकतक लिफ्ट सिंचाई परियोजना (चरण-1) मणिपुर का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम)

विस्तृत चर्चा के बाद, समिति ने पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 51.94 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ वित्तीय सहायता के लिए परियोजना की सिफारिश की। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल करने की सिफारिश करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य सरकार को परियोजना के संचालन और रखरखाव को प्राथमिकता देनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा निवारक रखरखाव सहित परियोजना संपत्तियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि नियमित रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

बोडवाड़ परिसर सिंचन योजना (स्टेज-1), महाराष्ट्र

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत पात्र केंद्रीय सहायता हेतु 469.98 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए परियोजना की सिफारिश की। हालांकि, परियोजना की सिफारिश करते हुए, अध्यक्ष ने जोर दिया कि 2016 में पीएमकेएसवाईए-आईबीपी के तहत प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं में शामिल महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाओं की प्रगति मुख्य रूप से कई परियोजनाओं पर संसाधनों के कम प्रसार के कारण संतोषजनक नहीं है। परिणामस्वरूप, कार्यान्वयन में देरी होती है, जो वित्तीय संसाधनों पर और दबाव डालती है। अतः यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र सरकार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करे।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परियोजना को स्थगित कर दिया गया था।

राज्यों के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल(पीके) लिंक और ईआरसीपी के प्रस्तावित एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक

पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक चंबल बेसिन में पानी के अंतर-बेसिन हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है जिसमें कालीसिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप-घाटियों में उपलब्ध अतिरिक्त मानसून के पानी का उपयोग करके है और इसे पानी की कमी वाले उप-बेसिनों बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती बेसिन में मोडा जाएगा। परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों और रास्ते के कस्बों, गांवों और टैंकों के साथ-साथ पास के कमान क्षेत्र में पीने, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी प्रदान करना है।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) 50% उपज निर्भरता की योजना है। हालांकि, इस प्रस्ताव की जांच की प्रक्रिया में, के.ज.आ. ने सुझाव दिया है कि या तो 75% निर्भरता के आंकड़ों के आधार पर परियोजना में संशोधन किया जाए, या राजस्थान सरकार,मध्य प्रदेश सरकार से "अनापत्ति" प्राप्त करे। चूंकि 50% निर्भरता मानदंड की तुलना में 75% के संदर्भ में ईआरसीपी के अनुमोदन के संबंध में कोई प्रगति नहीं है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा संशोधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना- पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए एक पीएफआर की खोज की जा रही है, एनडब्ल्यूडीए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना- पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक के संदर्भ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे, आदान-प्रदान के लिए ड्राफ्ट पीएफआर प्रस्तुत किया है।

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव, ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल(पीकेसी) लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के प्रस्तावित एकीकरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 12.09.2022 को मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद, बैठक में आगे की कार्रवाई का निर्णय इस प्रकार है:

1. के.ज.आ. अवलोकन किए गए डेटा के मूल्यांकन की तुलना करने के लिए 15 दिनों के भीतर वर्षा-अपवाह विधि के माध्यम से उपज (75% निर्भरता पर) की गणना करेगा।
2. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण /जल संसाधन विकास, राजस्थान 15 दिनों के भीतर पानी के पुनर्जनन की मात्रा और उन स्थानों की पुष्टि करेगा जहां यह होगा उपलब्ध रहेगा।

इन आंकड़ों के आधार पर संशोधित पीएफआर और अन्य सुझाए गए संशोधन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा दोनों राज्यों के विचारार्थ 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

डॉ. श्रीनिवास चोकाकुला, जल शक्ति मंत्रालय रिसर्च चेयर/सीई (आईएमओ) - बार और बाइंडिंग के संबंध में चर्चा

सीपीआर, नई दिल्ली में "एमओडब्ल्यूआर अनुसंधान अध्यक्ष-जल संघर्ष और शासन" की स्थापना के लिए जल शक्ति मंत्रालय और नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर) के बीच 31.08.2018 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।अनुसंधान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सुपुर्दगी में से एक है "सुप्रीम कोर्ट के अंतर-राज्यीय जल विवादों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण के लिए उनके निहितार्थ" (बार और बंधन का मोनोग्राफ)।

तीसरी प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि डॉ. श्रीनिवास चोकाकुला, जल शक्ति मंत्रालय अनुसंधान अध्यक्ष और श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (जल आयजना एवं परियोजना), के.ज.आ. और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के बीच चर्चा के बाद 'बार और बाइंडिंग के मोनोग्राफ' को अंतिम रूप दिया जाएगा। तदनुसार, 09.09.2022 को 'बार और बाइंडिंग के मोनोग्राफ' को

अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

'बैठक के दौरान, 'बार और बाइंडिंग मोनोग्राफ' पर विस्तार से चर्चा की गई और विचार-विमर्श के बाद, जल शक्ति मंत्रालय अनुसंधान अध्यक्ष ने बैठक के दौरान दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से तैयार करने पर सहमति व्यक्त की।

नदी प्रबंधन स्कन्ध के तहत गतिविधियां

के.ज.आ. और एनआरएससी, हैदराबाद द्वारा भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन और बाढ़ पूर्वानुमान में आधुनिक तकनीक के उपयोग के संबंध में हुई बैठक।

"भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन और केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने" की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 01.09.2022 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में के.ज.आ., एनआरएससी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:

1.दिसंबर 2022 तक बाढ़-प्रवण क्षेत्र परतों की जमीनी सच्चाई के सत्यापन के कार्य में तेजी लाने और उसे पूरा करने की आवश्यकता है।

2. उन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक डीओ पत्र भेजा जाना है जहां बाढ़-प्रवण क्षेत्र परतों का जमीनी सच्चाई सत्यापन लंबित है और उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीसी की व्यवस्था की जाए जहां अक्टूबर 2022 में जमीनी सच्चाई सत्यापन का कार्य लंबित है।

3. के.ज.आ. देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आवधिक अद्यतन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करेगी, अधिमानतः हर पांच साल में।

4. के.ज.आ. भविष्य की आवश्यकता के लिए सी-डैक के माध्यम से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) पारिस्थितिकी तंत्र पर एक अवधारणा नोट प्रस्तुत कर सकता है, उदाहरण के लिए बाढ़ का पूर्वानुमान, सामूहिक बाढ़ पूर्वानुमान, उपग्रह डेटासेट का प्रसंस्करण आदि।

5. के.ज.आ. और एनआरएससी निम्नलिखित को साझा करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करेंगे:

क. जलप्लावन पूर्वानुमान मॉडल विकास के लिए एनआरएससी के पास उपलब्ध ब्रह्मपुत्र नदी के उच्च-रिज़ॉल्यूशन राडार डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) को साझा करना।

ख. जलप्लावन पूर्वानुमान के सत्यापन के उद्देश्य से जलप्लावन के वास्तविक समय के चित्रण के लिए जीआईएस प्रारूप (रेखापुंज या वेक्टर डेटा प्रारूप) में मानचित्र

ग. के.ज.आ. बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल में एकीकरण के लिए दैनिक हिमपात अपवाह पूर्वानुमान की प्रौद्योगिकी साझा करना।

2022 मानसून के मौसम के बाद एनएचपी के तहत विकसित किए गए गोदावरी और तापी बेसिन के बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल को के.ज.आ. को सौंपना।

देश में बाढ़ की स्थिति-सितंबर 2022

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में 01.05.2022 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 1 मई से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान, 9324 बाढ़ पूर्वानुमान (5620 स्तर और 3704 प्रवाह) जारी किए गए थे, जिनमें से 8767 (5358 स्तर और 3409 प्रवाह) पूर्वानुमान 94.02% की प्रतिशत सटीकता की सीमा के भीतर थे। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 30 सितंबर 2022 तक 101 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 120 ऑरेंज बुलेटिन (बाढ़ की गंभीर स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2022 से 30.09.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

आठ बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों ने चरम बाढ़ की स्थिति देखी।

क्र.सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 16/06/2022	21/05/2022 22/06/2022
2.	बिहार	किशनगंज	महानंदा	तैयबपुर	29/06/2022	29/06/2022
3.		सुपौल	कोसी	बसुआ	02/08/2022	02/08/2022
4.	तेलंगाना	भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022	15/07/2022
5.		कुमारमभीम	वर्धा	सिरपुर (टी)	14/07/2022	17/07/2022
6.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारामराजू	साबरी	चिंटुरु	15/07/2022	19/07/2022
7.	राजस्थान	करौली	चंबल	मंडरियल	25/08/2022	25/08/2022
8.		धौलपुर	चंबल	धौलपुर	25/08/2022	26/08/2022

60 बाढ़ निगरानी स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी।

बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थिति

94 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एनसीटी दिल्ली और गुजरात।

सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और राजस्थान में 44 एफएफ स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 80 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक जल प्रवाह हुआ।

तकनीकी सलाहकार-सह-कार्यकारी समिति (दक्षिण) क्षेत्र की पहली बैठक

तकनीकी सलाहकार-सह-कार्यकारी समिति (दक्षिण) क्षेत्र की पहली बैठक 21.09.2022 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई (एस), बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार द्वारा की गई थी। श्री अशोक कुमार वी., निदेशक, के.ज.आ. ने राज्य सरकार के अधिकारियों और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों के साथ एक सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया। लघु सिंचाई दक्षिण क्षेत्र से संबंधित सतही लघु सिंचाई योजनाओं के तहत प्रस्तावित कुल 49 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को चर्चा के लिए समिति के समक्ष रखा गया।

बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित बिंदुओं का निरीक्षण किया गया:

1. प्रस्तावित एसएमआई परियोजनाओं को जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) में शामिल किया जाना है। इस संबंध में, कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे डीआईपी में प्रस्तावित एसएमआई परियोजनाओं को शामिल करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें और आयोजित बैठक की कार्यवाही की प्रति डीपीआर में संलग्न करें।
2. डीपीआर में संलग्न प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों/संलग्नकों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।
3. कुछ डीपीआर में विशिष्ट पहचान कोड ठीक से आवंटित नहीं किए गए हैं और उन्हें ठीक करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
4. यह निर्णय लिया गया कि सभी डीपीआर ड्राइंग को सही किया जाएगा (एम 25 तक) और उन्हें टीएसी बैठक में दर्ज अन्य अनुपालनों/सुधारों/संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ड्राइंग, डिजाइन और आकलन में आयाम कुछ डीपीआर में मेल नहीं खा रहे हैं। इसे ठीक किया जाएगा और के.ज.आ. को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।
6. कुछ डीपीआर में सूचकांक मानचित्र और कमान क्षेत्र के नक्शे गायब हैं। इसे संलग्न किया जाएगा।
1. जहां भी संरचनाओं में गेट प्रदान किए जाते हैं, उनके रखरखाव और भंडारण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं।
2. सीजीडब्ल्यूबी से सदस्य, टीएसी ने सूचित किया कि डीपीआर में कुछ परियोजनाओं के लिए संभावित लाभार्थियों की सूची गायब है और बीसी अनुपात पर कुछ डीपीआर में सुधार करने की आवश्यकता है।

अशोक कुमार वी, निदेशक (मूल्यांकन) के.ज.आ., बैंगलोर ने भविष्य में एसएमआई योजनाओं के अन्य डीपीआर जमा करने के लिए उपरोक्त टिप्पणियों को एक मॉडल के रूप लेने का सुझाव दिया है और सुझाव दिया है कि इन डीपीआर को लघु सिंचाई विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा तकनीकी जांच के बाद कर्नाटक सरकार के माध्यम से भेजा जाए।

30.09.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-2023	व्यय	व्यय(%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.000	75.688	40.91%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	8.000	6.0898	76.12%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	4.2259	18.21%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	0.133	1.20%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	44.37	8.2934	18.69%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	0.880	0.88%

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 29.09.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 154.181 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 87 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 142.371 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 136.859 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 29.09.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में

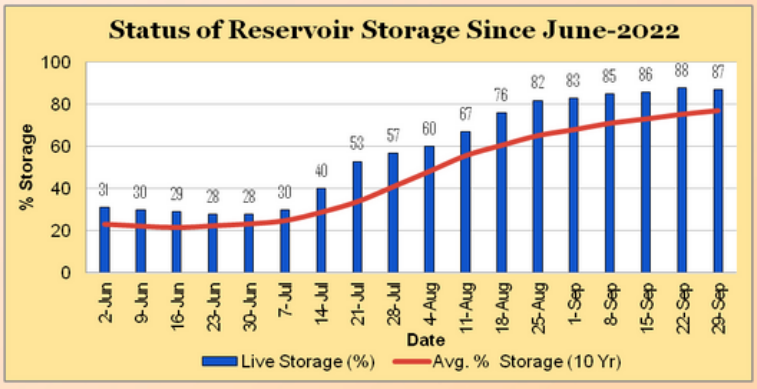

उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 108 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 113 प्रतिशत है।

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियां

सितंबर-2022 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षार्थियों कीसंख्या प्रति पाठ्यक्रम	श्रेणी
1	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला	19 सितंबर 2022	35	गैर-तकनीकी
2	पायथन प्रोग्रामिंग का परिचय और जल संसाधन क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग (एनएचपी के तहत)	19-23 सितंबर 2022	604	तकनीकी
3	एंड्रॉयड ऐप विकास	26 सितंबर - 07 अक्टूबर 22	32	तकनीकी

डेटा कॉर्नर- गोदावरी बेसिन की मुख्य विशेषताएं

क्रम सं.	विशेषताएं	विवरण
1	बेसिन विस्तार	73°24' to 83°4' E 16°19' to 22°34' N
2	क्षेत्र (वर्ग किमी)	312812.00 (के.ज.आ. की रिपोर्ट)
3	बेसिन के अंतर्गत पड़ने वाले राज्य	महाराष्ट्र - 48.7%, आंध्र प्रदेश - 23.7%, मध्य प्रदेश - 7.8%, ओडिशा - 5.7% कर्नाटक - 1.4%, छत्तीसगढ़ - 12.4%, पुडुचेरी - 0.01%
4	जिले (जनगणना 2011)	55
5	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (2009)	55
6	औसत वार्षिक वर्षा (मिमी)	1093.21
7	औसत अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)	33.04
8	औसत न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)	20.63
9	कुल जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	60489310
10	गांवों की संख्या (जनगणना 2001 के अनुसार)	43492
11	अधिकतम ऊंचाई (एम)	1664
12	औसत वार्षिक जल क्षमता (बीसीएम)	110.540
13	उपयोगी सतही जल (बीसीएम)	76.30
14	उप बेसिनों की संख्या	8
15	वाटरशेड की संख्या	466
16	जल संसाधन संरचनाओं की संख्या	बांध (921) , बैराज(28) , वियर(18), एनीकट्स(1), उत्थापक(62), बिजलीघर (16)
17	उच्चतम बांध	बंदरधारा बांध -82.35 मीटर
18	सबसे लंबा बांध	श्रीरामसागर (एसआरएसपी)/पोचमपाद बांध-15.6 कि.मी
19	उच्चतम बैराज	कोलार बैराज -15.5 m
20	सबसे लंबा बैराज	कोलार बैराज -1.195 km
21	सिंचाई परियोजनाओं की संख्या	वृहत-70 , माध्यम-216 , ईआरएम-6
22	जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या	14
23	भूजल अवलोकन कुओं की संख्या	1875
24	जल-अवलोकन स्थलों की संख्या	88
25	बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों की संख्या	18
26	जल पर्यटन स्थल	53

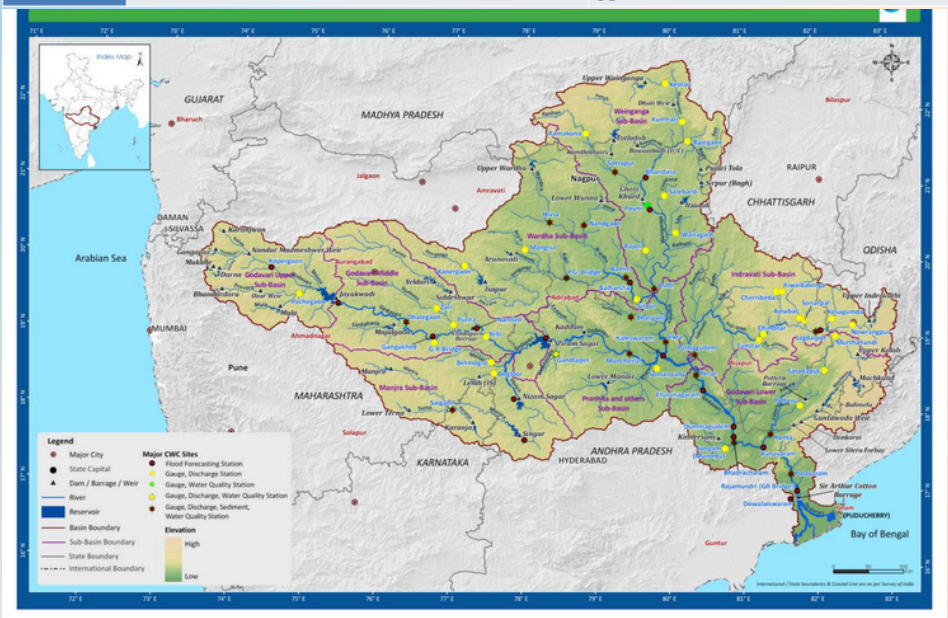

(Source: https://indiawris.gov.in/downloads/Godavari%20Basin.pdf)

जल क्षेत्र-समाचार

- चार गुना तेजी से पिघल रही है आर्कटिक की बर्फ (हरिभूमि, 01.09.2022)
- राज्य मिलकर करें जल बंटवारे की समस्या का समाधान (राजस्थान पत्रिका, 04.09.2022)
- यमुना में गंदगी पर भरना ही होगा 150 करोड़ का जुर्माना (हिन्दुस्तान, 07.09.2022)
- छत्तीसगढ़—यूपी बार्डर पर 45 साल से नहीं बन पाया बांध, लागत 30 करोड़ से 2200 करोड़ रु. पहुंची (दैनिक भास्कर, 14.09.2022)
- यूपी ने रचा कीर्तिमान, 1.21 लाख ग्रामीण परिवारों को दिया नल कनेक्शन (हरिभूमि, 19.09.2022)
- नेपाल और भारत ने जल संसाधनों पर शुरू की संयुक्त आयोग की बैठक (जनसत्ता, 22.09.2022)
- दिखने लगा झीलों के पुनर्जीवित होने का फायदा, बढ़ा भूजल स्तर (नवभारत टाईम्स, 23.09.2022)
- सप्त कोसी बांध परियोजना को आगे बढाने पर सहमत हुए भारत और नेपाल (दैनिक जागरण, 25.09.2022)
- देश की सबसे प्रदूषित नदियों की सूची में पहले स्थान पर हिंडन नदी(राजस्थान पत्रिका, 27.09.2022)
- नदी जल विवाद : आंध्र को कर्नाटक के खिलाफ मामला वापस लेने की अनुमति (अमर उजाला, 29.09.2022)
- गंगा में प्रदूषण के मामले में तेजी से कार्रवाई करे यूपी सरकार : एनजीटी (अमर उजाला, 30.09.2022)

गैलरी

हिंदी पखवाड़ा

1.CWC-HQ, New Delhi

2.NBO

3.YBO

2. Narmada Basin Organisation, Bhopal
3. Yamuna Basin Organisation, New Delhi

4.BOBO

5.MSO

6.MCO

4. Barak & Other Basin Organization, Shilong
5. Monitoring South Organisation, Bengaluru
6. Monitoring Central Organisation, Nagpur

जल शक्ति अभियान; बांकुरा जिले में कैच द रेन कैंपेन-2022। उप-निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, कोलकता (तकनीकी अधिकारी) और शत्रु संपत्ति संरक्षक/ संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (केंद्रीय नोडल अधिकारी) ने केंद्रीय टीम होने के नाते अभियान के दौरान 15-17 सितंबर, 2022 तक विभिन्न डब्ल्यूडीएस/ आरडब्ल्यूएच संरचनाओं का दौरा किया।

जयपुर, राजस्थान में "जयपुर एक्सपो-2022" प्रदर्शनी। सीजीडब्ल्यूबी भी इस प्रदर्शनी में के.ज.आ. में शामिल हुआ। के.ज.आ. ने इस आयोजन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार जीता।

श्री बी.के.कर्जी, मुख्य अभियंता, श्री सुधीर कुमार, निदेशक और श्री शशांक, उप निदेशक ने असम सरकार के अधिकारियों के साथ 22.09.2022 को पीएमकेएसवाई के तहत धनसिरी सिंचाई परियोजना, असम का दौरा किया।

इतिहास- थन्निरमुक्कम बैराज

कुट्टनाड, केरल का चावल का कटोरा कहा जाने वाला, एक अनूठा कृषि क्षेत्र है, जिसमें वेम्बनाड झील सहित 880 वर्ग किमी (340 वर्ग मील) का क्षेत्र शामिल है, और 0.97 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। मीनाचिल, मणिमाला, पम्बा और अचेनकोइल नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं और वेम्बनाड झील क्षेत्र में खाली हो जाती हैं, जो कोचि घाट के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। यह मार्ग उत्तर में शेरतलाई और दक्षिण में थोट्टापल्ली के बीच तथा अरब सागर के 24 किमी के भीतर पूर्व की ओर फैला हुआ है।

खेती करना

खेती योग्य क्षेत्र में 303 वर्ग किमी (117 वर्ग मील) उद्यान भूमि और लगभग 570 वर्ग किमी (220 वर्ग मील) उपजाऊ धान के खेत शामिल हैं। उद्यान भूमि, जहां गन्ना और नारियल की खेती की जाती है, वहाँ आबादी का घनत्व बहुत उच्च है, इस क्षेत्र में धान की खेती, जो दक्षिण-पूर्व में समुद्र तल से 0.6 मीटर (2 फीट) कम है, और उत्तर-पश्चिम में 2.1 मीटर है, एक जोखिम भरा कृषि कार्य था। किसान रेत के भारी तटबंधों से घिरे खेतों में धान उगाते हैं, जिसके आगे 1.5 से 2.1 मी. पानी क्षेत्र स्तर से ऊपर खड़ा रहता है। ज्वारीय तरंगें जो थन्निरमुक्कोम से दक्षिण में पुलिकेज़ तक बहती हैं इन बंधों को लगातार नुकसान पहुंचाती हैं। बैराज के निर्माण से पहले कुट्टनाड क्षेत्र में केवल एक फसल की खेती की जाती थी। पानी, जो संलग्न खेतों में 2.1 से 2.4 मीटर तक बढ़ जाता है, नई फसल बोने से पहले पंप किया जाता था।

नमक का प्रवेश

मानसून के प्रवाह के बाद, खारा समुद्री जल, झील में प्रवेश करता है, धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बहता है और पूरा क्षेत्र कवर कर लेता है। यदि उत्तर-पूर्वी मानसून विफल रहता है, तो समुद्री जल का प्रवेश पहले भी शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि कोचीन बंदरगाह के निर्माण से कुछ हद तक नमक के प्रवेश में तेजी आई है। कुट्टनाड बेसिन में खेती का मौसम अगस्त से मार्च तक चलता है। सबसे बड़े क्षेत्र में खेती नवंबर-दिसंबर के दौरान की जाती है।

नियामक की आवश्यकता

निचले क्षेत्र में जहां खारे पानी का प्रवेश महसूस किया जाता है वहाँ खेती अगस्त में शुरू की जाती है, जबकि ऊपरी क्षेत्र में, थिरुवेल्ला के पास, खेती नवंबर में शुरू की जाती है। हालांकि, बांधों के टूटने और खारेपन के कारण क्षेत्र में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पूरे क्षेत्र का पानी खारा हो जाता है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इन कमियों को दूर करने और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, थन्निरमुक्कोम में एक नियामक प्रस्तावित किया गया था। इस तरह के नियामक द्वारा, मानसून के बाद फाटकों को बंद करके कुट्टनाड क्षेत्र में समुद्री जल के प्रवेश को रोका जा सकता है। बाढ़ और बरसात के मौसम के दौरान, खुले नियामक के माध्यम से पानी नीचे समुद्र में बह जाएगा।

जांच समिति

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कोचीन बंदरगाह अधिकारियों की सलाह पर महसूस किया कि इसके निर्माण के लिए सहमत होने से पहले, कोचीन बंदरगाह पर मूल रूप से प्रस्तावित आंशिक ठोस बाधा के प्रभाव की जांच करना महत्वपूर्ण था। तदनुसार प्रस्ताव की जांच के लिए केरल सरकार, कोचीन हार्बर प्रशासन, कोचीन नेवल बेस और केंद्रीय जल और विद्युत आयोग के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति के कहने पर, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पूना में हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन किया गया था।

दिसंबर के मध्य से मार्च के मध्य तक की अवधि के लिए मॉडल प्रयोग किए गए' –जिससे पता चला कि जब बैराज बंद रहता है तो नियामक नेविगेशन को प्रभावित नहीं करता है। मॉडल ने तीन शुष्क महीनों- अप्रैल-जून के दौरान बंदरगाह में कोई सादन नहीं दिखाया।

इसी तरह के मॉडल अध्ययन थन्नीरमुक्कम के दक्षिण में 11 किमी (7 मील) में पुथेनंगडी नामक एक अलग स्थल पर बाधा के साथ आयोजित किए गए थे।

सबसे लंबा बैराज

वर्तमान प्रस्ताव में 12 मीटर (40 फीट) प्रत्येक के 93 स्पैन वाले अंत्याधार के बीच 1,211 मीटर (3,973 फीट) लंबे एक नियामक का निर्माण करना है। बैराज पूरा होने पर भारत में सबसे लंबा होगा।

यह देहली समुद्र तल से 4.3 मीटर (14-0 फीट) ऊपर होगी जो कि स्थल पर औसत तल स्तर है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट प्रस्तंभ 0-85 मीटर (2 डिग्री 75 फीट) मोटा होगा। नींव को पाइल पर रखने का प्रस्ताव है। तल के सैकड़ों फुट नीचे तक कोई चट्टान उपलब्ध नहीं है। झील के एलेप्पी और कोट्टायम किनारों के बीच की सड़क के लिए बैराज के शीर्ष पर 6-7 मीटर (22 फीट) चौड़ा पुल होगा। 5:5 मीटर (18 फीट) ऊंचाई के स्टील शटर सभी स्पैन के लिए प्रस्तावित हैं। देहली के एप्रन प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह सीमेंट मोर्टार में रबल कंक्रीट के हैं। इन्हें सीमेंट कंक्रीट के रिसनरोक पाइल और नमीरोधक पैविंग से आगे प्रबलित किया जाता है और झील में और बाहर पानी के स्तर में उल्लेखनीय बदलाव होने पर तलहट के माध्यम से रिसाव रोकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। नेविगेशन के लिए, थन्नीरमुक्कम बैराज साइट को पंपों और ड्रेजरों द्वारा निर्जलित किया जाता है। नियामक के बाईं ओर एक जुड़वा जलपाश और दाईं ओर एक जुड़वा जलपाश प्रस्तावित है।

निर्माण की प्रगति

परियोजना पर कार्य का उद्घाटन फरवरी, 1958 में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्ण मेनन द्वारा किया गया था। नियामक के जलपाश और अंत्याधार का कार्य पूरे जोरों पर है। यह परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जानी है। कार्य की प्रगति इस कारण से धीमी होती है कि किसी भी समय केवल एक तिहाई जलमार्ग को अवरुद्ध किया जा सकता है।.

लाभ

थनीरमुक्कम, बैराज पूरे कुट्टानाड क्षेत्र में दो फसलों की खेती को सक्षम बनाएगा, जहां वर्तमान में केवल एक अनिश्चित फसल का प्रयास किया जाता है। 1.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस योजना से 56,656 हेक्टेयर (140,000 एकड़) के क्षेत्र को लाभ होगा और इससे लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा।

(स्रोत: भगीरथ मार्च 1962)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in